छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

सोमवार, दिनांक 24 जुलाई, 2006

(श्रावण 2, शक संवत् 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. राष्ट्रगीत

सदन में वन्दे मातरम् की धुन बजाई गई।

2. निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष महोदय ने श्री प्रमोद महाजन, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं सांसद, डॉ. टु मनलाल, अविभाजित मध्यप्रदेश के भूतपूर्व मंत्री, महंत रामेश्वर गिरी, अविभाजित मध्यप्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य, मुंबई बम विस्फोट में मारे गए मृतकजन तथा एर्राबोर शिविर पर हुए नक्सली हमले में मृतकजनों के प्रति शोकोद्गार व्यक्त किए।

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) नेता प्रतिपक्ष (श्री महेन्द्र कर्मा) श्री विनोद खांडेकर, श्री देवजी भाई पटेल, श्री नोवेल कुमार वर्मा एवं श्री गणेश शंकर बाजपेयी, सद्स्य द्वारा भी शोकोद्गार व्यक्त किए गए।

सदन द्वारा दो मिनट खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई एवं शोक संतप्त जन के लिए संदवेदना प्रकट की गई।

(10.58 बजे सदन की कार्यवाही स्थगित होकर 11.06 बजे पुनः प्रारंभ हुई)

3. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 एवं 02 पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्नोत्तर सूची में सूची में नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 12 तारांकित एवं 21 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

4. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 1 की चर्चा के दौरान शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर मोहम्मद अकबर, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

5. अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष महोदय की घोषणानुसार फरवरी-मार्च, 2006 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर पटल पर रखे गए।

6. नियम 267 क के अधीन सूचनाएं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष महोदय की घोषणानुसार नियम 267 क के अधीन फरवरी-मार्च, 2006 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा गया।

7. राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि द्वितीय विधान सभा के फरवरी-मार्च, 2006 सत्र में पारित 9 विधेयकों में से 7 विधेयकों पर महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त की गई है। जिसका विवरण सचिव, विधान सभा पटल पर रखेंगे।

सचिव, विधानसभा द्वारा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक - 30 - क की अपेक्षानुसार द्वितीय विधान सभा के फरवरी-मार्च, 2006 सत्र में पारित 9 विधेयकों में से 7 विधेयक, जिन पर महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है, का विवरण पटल पर रखा गया।

अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाले विवरण को पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

8. सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा विधान सभा नियमावली के नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया।

1. श्री गणेश शंकर बाजपेयी
2. श्री देवलाल दुग्गा
3. श्री सत्यनारायण शर्मा
4. श्री अघन सिंह ठाकुर
5. श्री धर्मजीत सिंह

9. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक रविवार, दिनांक 23 जुलाई, 2006 को संपन्न हुई, जिसमें निम्नानुसार वित्तीय कार्य व शासकीय विधेयकों के लिए उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

वित्तीय कार्य	**निर्धारित समय**
वर्ष 2006-2007 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार तथा पारण	3 घंटे
विधि विषयक कार्य	
(1) महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा लौटाए गए छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण विधेयक, 2004 पर पुनर्विचार	30 मिनट
(2) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) विधेयक, 2006	30 मिनट
(3) छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2006	30 मिनट

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि मंगलवार, दिनांक 25 जुलाई, 2006 को सभा की बैठक नहीं होगी। तद्नुसार वर्ष 2006-2007 का प्रथम अनुपूरक अनुमान बुधवार, दिनांक 26 जुलाई, 2006 को उपस्थापित किया जायेगा तथा अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण गुरूवार, दिनांक 27 जुलाई, 2006 को किया जायेगा।

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि दिनांक 26 जुलाई, 2006 से सभा की बैठकें पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 1.30 बजे तक तथा अपराह्न 3.00 बजे से सायं 5.30 बजे तक रखी जायें।

श्री अजय चन्द्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों की स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. स्थगन प्रस्ताव

नक्सलियों द्वारा एर्राबोर शिविर पर हमला कर हत्या किए जाना

माननीय अध्यक्ष महोदय ने नक्सलियों द्वारा एर्राबोर शिविर पर हमला कर हत्या किए जाने के संबंधी सर्वश्री महेन्द्र कर्मा, भूपेश बघेल, नंदकुमार पेटल, रविन्द्र चौबे, धर्मजीत सिंह, सत्यनारायण शर्मा, ताम्रध्वज साहू, डॉ. शक्राजीत नायक, गणेश शंकर बाजपेयी, धनेन्द्र साहू, उदय मुदलियार, मोहम्मद अकबर, योगेश्वर राज सिंह, महंत रामसुंदर दास, डॉ. शिवकुमार डहरिया एवं डॉ. हरिदास भारद्वाज सदस्य से प्राप्त सूचनाओं में से सर्वप्रथम प्राप्त श्री महेन्द्र कर्मा, सदस्य की सूचना पढ़ी।

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया। डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने स्थगन प्रस्ताव को चर्चा हेतु ग्राह्य करने की सहमति प्रदान की।

शासन की सहमति एवं माननीय सदस्यों के अनुरोध को स्वीकार करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्थगन प्रस्ताव पर तत्काल चर्चा प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की।

स्थगन प्रस्ताव पर प्रारंभ हुई चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

सर्वश्री महेन्द्र कर्मा, शिवप्रताप सिंह, कवासी लखमा, अघन सिंह ठाकुर,

(1.00 बजे से 2.32 बजे तक अंतराल)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री नंदकुमार पटेल, इंदर चोपड़ा, रविन्द्र चौबे, विजय अग्रवाल,

(सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए।)

श्री ताम्रध्वज साहू, डॉ. सुभाऊ कश्यप,

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

11. व्यवस्था

स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हेतु 2 घंटे से अधिक समय दिया जाना

माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य करके सभा में चर्चा हो रही है। नियमों में प्रावधानित है कि चर्चा केवल 2 घंटे होगी और पश्चात् अपने आप समाप्त हो जाएगी।

यह नियमों में है कि कोई सदस्य अधिकतम बिना अध्यक्ष की अनुमति के 15 मिनट से अधिक नहीं बोलेगा। लेकिन मैंने विषय की गंभीरता को देखते हुए एवं सदन की भावना के अनुरूप सदस्यों को अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु नियमों को शिथिल कर समस्त माननीय सदस्यों को उनके विचार व्यक्त करने हेतु समय दिए जाने का निर्णय लिया है।

मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया संक्षेप में घटना के संबंध में विषय वस्तु को केन्द्रित कर जो तथ्य सभा के समक्ष नहीं आए हो रखें। पुनरावृत्ति न हो इस बात का ध्यान रखें।

12. स्थगन प्रस्ताव (क्रमशः)

श्री धनेन्द्र साहू (जारी)

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा पूर्ण होने तक

समय के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

सर्वश्री धनेन्द्र साहू, कमलभान सिंह, उदय मुदलियार, देवजी भाई पटेल, मोहम्मद अकबर, त्रिलोचन पटेल, सत्यनारायण शर्मा, डॉ. हरिदास भारद्वाज, राजेन्द्र पामभोई, नोवेल कुमार वर्मा, भूपेश बघेल।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सायं 7.01 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 26 जुलाई, 2006 (श्रावण 4, शक संवत् 1928) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

○

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

बुधवार, दिनांक 26 जुलाई, 2006

(श्रावण 4, शक संवत् 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 एवं 09 (कुल 09) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 03 हेतु श्री देवजी भाई पटेल अधिकृत थे।

प्रश्नोत्तर सूची में सूची में नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नोंत्तर के रूप में परिवर्तित 07 तारांकित प्रश्न एवं 27 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. व्यवस्था

तारांकित प्रश्न संख्या 06 की चर्चा के दौरान, शासन की ओर से समाधानकारक उत्तर नहीं आने पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने, व्यवस्था दी कि समस्त माननीय मंत्रिगणों को सदन को गंभीरता से लेना चाहिए।

3. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 06 की चर्चा के दौरान शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री अजय चन्द्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार -

(1) अधिसूचना क्रमांक-122/एफ-2(4) 05/48/सं.का., दिनांक 10 फरवरी, 2006 तथा

(2) क्रमांक-433/एफ-1(10)/05/48/सं.का., दिनांक 9 मई, 2006 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य कुटुम्ब पेंशन नियम, 2006

पटल पर रखे।

श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष ने एर्राबोर में नक्सली हमले के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही तथा जांच कराने की मांग की। श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने भी शासन की ओर से अलग से कार्यवाही तथा जांच कराने की मांग की। श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य के साथ कांग्रेस के अन्य सदस्यों द्वारा एर्राबोर हमले की घटना पर जांच कार्यवाही की मांग करेत हुए, व्यवधान एवं नारेबाजी की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय ने कांग्रेस के सदस्यों से नियम एवं प्रक्रिया अंतर्गत अंतर्गत कार्यवाही चलाने का अनुरोध किया। प्रतिपक्ष द्वारा निरंतर नारेबाजी की जाती रही।

निरंतर व्यवधान एवं नारेबाजी के कारण दोपहर 12.13 बजे सदन की कार्यवाही दोपहर 3.00 तक के लिए स्थगित की गई।

(12.13 से 3.00 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने आसंदी से अनुरोध किया कि एर्राबोर की नक्सली घटना पर प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री की ओर से समुचित उत्तर नहीं आया। श्री बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने अनुरोध किया कि स्थगन पर चर्चा हो चुकी है, और अब उस विषय पर चर्चा करना उपयुक्त नहीं है।

(विपक्ष की ओर से सरकार विरोधी नारे लगाए गए।)

श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए व्यक्त किया कि स्थगन पर चर्चा हो चुकने के पश्चात् उसे पुनः नहीं उठाया जा सकता। श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने व्यक्त किया

कि एर्राबोर की घटना के लिए जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की गई।

5. व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि नियम 58 में प्रावधानित है कि किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से दो घण्टे बीत जाने की चर्चा समाप्त हो जायेगी और कोई प्रश्न नहीं रखा जायेगा।

लेकिन मैंने नियमों को शिथिल कर 6 घण्टे चर्चा कराई और सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त अवसर दिया। विषय कल ही समाप्त हो गया और अब उसी विषय पर वे किसी चर्चा की अनुमति नहीं देते।

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आज की कार्यसूची के महत्वपूर्ण कार्य सम्पादन में सहयोग करें।

(प्रतिपक्ष की ओर से निरंतर नारेबाजी की गई)

6. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से घोषणा की कि सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138(3) को शिथिल करके उन्होंने आज की कार्यसूची में चार ध्यानाकर्षण सूचनाएं शामिल किए जाने की अनुज्ञा प्रदान की है।

1. श्री देवजी पटेल, सदस्य ने धनरस राखड़ बांध टूटने से पर्यावरण को क्षति पहुंचने व जन-धन की क्षति होने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गणेशराम भगत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 21 सदस्य गर्भगृह में आ गए एवं नारेबाजी करते रहें।)

(2) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने प्रदेश में नकली खाद की बिक्री होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री पूनम चन्द्राकर, संसदीय सचिव (कृषि) ने इस पर वक्तव्य दिया।

7. व्यवस्था एवं निलंबन

माननीय अध्यक्ष महोदय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों के गर्भगृह में आने पर घोषणा कि-

मुझे अत्यंत दुःख है कि माननीय सदस्यों को नियमों, प्रक्रियाओं की जानकारी होने और आसंदी द्वारा भी नियम, प्रक्रियाओं की जानकारी माननीय सदस्यों को दिये जाने के बावजूद भी प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने स्वयं के द्वारा बनाये गये नियमों का जानबूझकर उल्लंघन कर सभा की अव माननाकारक आचरण कर सभा के वेश्म में आकर नारेजाबी कर कार्यवाही में व्यवधान डाला है। मैं प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली के नियम 250(1) के अंतर्गत निम्नांकित सदस्यों को आज की कार्यवाही से निलंबित करता हूँ :-

सर्वश्री महेन्द्र कर्मा, भूपेश बघेल, नंदकुमार पटेल, सत्यनारायण शर्मा, डॉ. रामचन्द्र सिंहदेव, मोहम्मद अकबर, रविन्द्र चौबे, रामपुकार सिंह, मोतीलाल देवांगन, ओंकार शाह, गुलाब सिंह, हरिदास भारद्वाज, चैतराम साहू, योगेश्वरराज सिंह, डॉ. शक्राजीत नायक, डॉ. शिव डहरिया, चन्द्रभान बारमते, उदय मुदलियार, चुरावन मंगेशकर, सियाराम कौशिक, धनेन्द्र साहू।

(निलंबित सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए।)

8. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने शासन द्वारा निर्धन जोड़ो का सामूहिक विवाह एवं फर्जी बीमा कराकर धोखाधड़ी किए जाने

संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी।

9. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री अघन सिंह ठाकुर, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी सि मति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष गुरूवार, दिनांक 27 जुलाई, 2006 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया, तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिए नि म्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय संकल्प क्र.	सदस्य का नाम	समय

1. (क्रमांक - 1)	श्री हरिदास भारद्वाज	45 मिनट
2. (क्रमांक-4)	श्री रविन्द्र चौबे	1 घंटा
3. (क्रमांक-3)	श्री देवव्रत सिंह	45 मिनट

श्री अघन सिंह ठाकुर, सभापति ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्प संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. वर्ष 2006-2007 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2006-2007 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया।

अध्यक्ष महोदय ने इस अनुपूरक पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 27 जुलाई, 2006 की तिथि निर्धारित की।

3.47 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 27 जुलाई, 2006 (श्रावण 5, शक संवत् 1928) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

◌

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

गुरूवार, दिनांक 27 जुलाई, 2006

(श्रावण 5, शक संवत् 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 एवं 12 तथा प्रश्न संख्या 14 एवं 15 (कुल 14) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 13 के प्रश्नकर्ता सदस्य ठाकुर बलराम सिंह अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नोंत्तर के रूप में परिवर्तित 07 तारांकित प्रश्न एवं 30 अतारांकित प्रश्नों तथा उनके उत्तर भी शामिल थे।

2. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से घोषणा की कि- आज की कार्यसूची में 12 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक-22 (6) के तहत शामिल किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138(3) के अंतर्गत प्रथम ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

(1) डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर में पुलिस द्वारा छात्रों पर लाठी चार्ज किए जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

3. भोजन अवकाश स्थगित

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सभा की सहमति से भोजन अवकाश स्थगित कर चर्चा निरंतर जारी रखी एवं माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में तथा पत्रकारों के लिये पत्रकार कक्ष के स मीप दोपहर भोज का आयोजन वित्त मंत्री द्वारा किये जाने की जानकारी दी।

4. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

श्री राम विचार नेताम, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

शासन के उत्तर के विरोध स्वरूप प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से कार्यवाही चलने देने का अनुरोध किया। निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण 12.41 बजे विधान सभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित होकर 12.55 बजे पुनः प्रारंभ हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

5. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

(2) श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य ने रायपुर-दुर्ग फोरलेन पर नियम विरूद्ध टोल टैक्स वसूली किए जाने की ओर राज्य मंत्री, लोक निर्माण का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राजेश मूणत, राज्य मंत्री, लोक निर्माण ने इस पर वक्तव्य दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि - अब वे कार्यूसची के पद 2 के उप पद (3) से (12) तक सूचना देने वाले सदस्यों के नाम पुकारेंगे, उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने जायेंगे :-

(3) श्री नंदकुमार पटेल, श्री सत्यनारायण शर्मा, श्री ताम्रध्वज साहू, सदस्य

(4) श्री नंदकुमार पटेल, श्री महेन्द्र कर्मा, भूपेश बघेल, सदस्य

(5) डॉ. शिवकुमार डहरिया, सदस्य

(6) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य

(7) श्री नंदकुमार पटेल, श्री मोतीलाल देवांगन, डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य

(8) श्री नंदकुमार पटेल, श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य

(9) श्री भूपेश बघेल, सदस्य

(10) श्री उदय मुदलियार, सदस्य

6. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि - नियम 267-क के अधीन निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य

(2) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य

(3) श्री उदय मुदलियार, सदस्य

(4) मोहम्मद अकबर, सदस्य

7. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक - 26, लोरमी के सदस्य, श्री धर्मजीत सिंह की ओर से विधान सभा नियमावली के नियम 277(1) के अधीन आवेदन प्राप्त हुआ है। उन्होंने दिनांक 24.07.2006 से दिनांक 03.08.2006 तक सत्र में सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही है।

सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई।

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी :-

(1) श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य

(2) डॉ. बालमुकुन्द देवांगन, सदस्य

9. वर्ष 2006-2007 के प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान

अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से घोषणा की कि अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी। परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती है और उस पर एक साथ चर्चा होती है। अतः मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहूँगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 51, 55, 56, 57, 64, 66, 67, 68, 69, 79, 80, 81 एवं 82 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर छः सौ बयालीस करोड़, आठ लाख, तेईस हजार, पांच सौ चौरानबे रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

डॉ. रामचन्द्र सिंहदेव, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया -

सर्वश्री इंदर चोपड़ा, रविन्द्र चौबे (जारी)

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री रविन्द्र चौबे, लच्छुराम कश्यप, नंदकुमार पटेल, देवजी भाई पटेल, उदय मुदलियार, विजय अग्रवाल, ओंकार शाह, नोवेल कुमार वर्मा, भूपेश बघेल।

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-30 विधेयक, 2006

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2006 का पुरःस्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2, 3 व अनुसूची विधेयक का अंग बने।

खंड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2006 पारित किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

प्रस्ताव पर मत लिया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

11. अशाकीय संकल्प

(1) रायपुर से बलौदा-बाजार, कसडोल, भटगांव, सारंगढ़, सरिया, सोहेला मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर सड़क का सुदृढ़ीकरण किया जाना

डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

श्री राजेश मूणत, राज्य मंत्री, लोक निर्माण ने चर्चा का उत्तर दिया तथा संकल्प को सर्वानुमति से स्वीकृत करने हेतु सहमति दी।

संकल्प पर मत लिया गया।

संकल्प सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ।

(2) प्रदेश के चारागन एवं गौठान के लिये आरक्षित भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया जाना

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री, ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प वापस हुआ।

(3) छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर से गुजरने वाली समस्त ट्रेनों में सभी श्रेणियों के आरक्षण कोटे का 10 गुना बढ़ाया जाना

श्री देवव्रत सिंह, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

श्री हेमचन्द यादव, परिवहन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा संकल्प को सर्वानुमति से स्वीकृत करने हेतु सहमति दी।

संकल्प पर मत लिया गया।

संकल्प सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ।

सायं 5.09 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 31 जुलाई, 2006 (श्रावण 9, शक संवत् 1928) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

सोमवार, दिनांक 31 जुलाई, 2006

(श्रावण 9, शक संवत् 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 04, 07 से 09 तथा प्रश्न संख्या 11 एवं 12 (कुल 09) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 05, 06 एवं 10 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमशः श्री गुलाब सिंह, श्री बलराम सिंह तथा श्री चैतराम साहू अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नोंत्तर के रूप में परिवर्तित 12 तारांकित प्रश्न एवं 36 अतारांकित प्रश्नों तथा उनके उत्तर भी शामिल थे।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 01 पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने शासन से उत्तर नहीं आने के विरोधस्वरूप सदन से बहिर्गमन किया।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री सत्यानंद राठिया, संसदीय सचिव ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 104 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का संपरीक्षित लेखा विवरण, वित्तीय वर्ष 2004-2005 (दिनांक 01.07.2004 से 31.03.2005) पटल पर रखा।

(2) कार्यसूची के पद क्रमांक 2 के उप पद (2) में सम्मिलित क्रमांक 1 से 14 तक की अधिसूचनाएं पटल पर रखी हुई मानी गईं।

(3) श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2005-2006 के बजट के अंतिम तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा

पटल पर रखी।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य ने जिला जांजगीर-चांपा में जहरीली शराब पीने से दो व्यक्तियों की मौत होने की ओर गृह मंत्री ाक ध्यान आकर्षित किया।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

श्री राम विचार नेताम, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. बहिर्गमन

ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री नोवेल कुमार वर्मा द्वारा शासन के उत्तर के विरोधस्वरूप सदन से बहिर्गमन किया।

6. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

(2) डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य ने रायगढ़ जिले में कोयले की तस्करी होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री सत्यानंद राठिया, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

7. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने जांजगीर-चांपा जिले के शासकीय आयुर्वेदिक औषधालयों में चिकित्सकों के पद रिक्त होने,

(2) श्री रामदयाल उइके, सदस्य ने वन विभाग द्वारा बैकलाग पदों पर चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति न दिये जाने,

(3) डॉ. बालमुकुंद देवांगन, सदस्य ने जिला-दुर्ग, महिला सहायता समूह ने नाम पर फर्जी उचित मूल्य की दुकानें आवंटित किये जाने, तथा

(4) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने खनिज खनन हेतु उपयोगार्थ विस्फोटकों की चोरी से उत्पन्न स्थिति,

संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी।

8. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री रविन्द्र चौबे, सभापति, लोक लेखा समिति ने समिति का तैंतीसवां से पचासवां तक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

डॉ.बालमुकुन्द देवांगन, सदस्य ने खेरथा विधान सभा क्षेत्र तथा डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने रायपुर जिले के विकासखण्ड-बिलाईगढ़ अंतर्गत विभिन्न विकास कार्य किए जाने संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत की।

10. वक्तव्य

श्री सत्यानंद राठिया, संसदीय सचिव ने दिनांक 15.12.2005 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्रमांक 202) के उत्तर में संशोधन के संबंध में वक्तव्य दिया।

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

महामहिम राज्यपाल द्वारा सभा को संदेश के साथ पुनर्विचार हेतु प्रेषित

छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण विधेयक, 2004

श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि- छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा दिनांक 2 दिसम्बर, 2004 को पारित छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण विधेयक, 2004 (क्रमांक 21 सन् 2004) में राज्यपाल द्वारा उनके संदेश दिनांक 26.03.2006 द्वारा की गई सिफारिश "छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण विधेयक, 2004 की धारा - 2 (ख)ः के तहत कृषिक पशु की जो अनुसूची तैयार की गई है, उसमें भैंसा-भैंसें भी जोड़े गए हैं और विधेयक की धारा-4 के अनुसार सभी प्रकार के कृषिक पशु की जो अनुसूची तैयार की गई है, उसमें भैंसा-भैंसें भी जोड़े गए हैं और विधेयक की धारा - 4 के अनुसार सभी प्रकार के कृषिक पशु के वध पर प्रतिबंध लगाया है," पर पुनर्विचार किया जाए।

सर्वश्री रविन्द्र चौबे, विजय अग्रवाल, डॉ. हरिदास भारद्वाज तथा श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने विधेयक के संबंध में अपने विचार रखे।

पुनर्विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री ने विधेयक के संबंध में संक्षिप्त भाषण दिया तथा प्रस्ताव किया कि - छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा दिनांक 2 दिसम्बर, 2004 को सदन द्वारा पारित छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण विधेयक, 2004 (क्रमांक 21 सन् 2004) की धारा -2 की उपधारा (ख) की अनुसूची निम्नांकित मूल स्वरूप में पुनः विधेयक का अंग बने तथा विधेयक महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति हेतु प्रेषित किया जाय :-

अनुसूची

धारा 2 (ख)

कृषिक पशु -

1. सभी आयु की गायें

2. बछड़ा-बछिया और पाड़ा-पड़िया

3. सांड

4. बैल

5. भैंसा, भैंसे

प्रस्ताव सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ।

विधेयक मूल स्वरूप में पारित हुआ।

12. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश के मानसून में देरी व कम वर्षा से उत्पन्न स्थिति

प्रदेश में मानसून में देरी व कम वर्षा से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(1.30 से 3.00 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री देवजी पटेल, ताम्रध्वज साहू, अघन सिंह ठाकुर, ड़ॉ. शक्राजीत नायक, नोवेल कुमार वर्मा, लच्छुराम कश्यप, डॉ. हरिदास भारद्वाज।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सायं 5.26 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 1 अगस्त, 2006 (श्रावण 10, शक संवत् 1928) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

◌

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

मंगलवार, दिनांक 1 अगस्त, 2006

(श्रावण 10, शक संवत 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 03, 04 से 09 तथा प्रश्न संख्या 11 (कुल 09) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 07 हेतु श्री त्रिलोचन पटेल एवं प्रश्न संख्या 09 हेतु मोहम्मद अकबर, सदस्य अधिकृत थे। प्रश्न संख्या 02 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री अमरजीत भगत अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नोंत्तर के रूप में परिवर्तित 18 तारांकित प्रश्न एवं 33 अतारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर भी शामिल थे।

2. बहिर्गमन

(1) तारांकित प्रश्न संख्या 08 पर चर्चा के दौरान श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया।

(2) तारांकित प्रश्न संख्या 09 पर चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने शासन के उत्तर से अंसतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया।

3. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि 1857 की क्रांति के 150वें वर्ष के अवसर पर आज सायं 5.30 बजे छत्तीसगढ़ शासन, जनसम्पर्क विभाग द्वारा राज टाकीज, रायपुर में

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अमर शहीद बिरसा मुंडा पर केन्द्रित फिल्म उलगुलान एक क्रांति का माननीय सदस्यों के लिए विशेष प्रदर्शन आयोजित किया गया है। समस्त माननीय सदस्य परिवार सहित इसका लाभ लें।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सड़क अनुरक्षण शुल्क वसूल किए जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गणेशराम भगत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री अमरजीत भगत, सदस्य ने अम्बिकापुर शहर में दो महिलाओं की हत्या किए जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री रामसेवक पैकरा, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

(सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए।)

5. बहिर्गमन

ध्यानाकर्षण पर चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोधस्वरूप सदन से बहिर्गमन किया।

6. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य ने ग्राम कुरदा के बांस डिपो से बांस का प्रदाय नहीं किए जाने,

(2) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने राजधानी में अवैध रूप से मांस विक्रय की दुकानें संचालित किये जाने,

(3) श्री रामपुकार सिंह, सदस्य ने जिला-जशपुर विकासखण्ड कासाबेल, शालाभवन का घटिया निर्माण किए जाने, तथा

(4) श्री गुलाब सिंह, सदस्य ने जिला-कोरिया वि.स. क्षेत्र मनेन्द्रगढ़ सी.एम.ओ. द्वारा शासकीय केन्द्रीय चिकित्सालय के चंदन वृक्षों को बिना अनुमति के अवैध कटाई किये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी।

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

श्रीमती रमशीला साहू, सदस्य ने गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत, श्री देवजी पटेल, सदस्य ने रायपुर-बलौदाबाजार मार्ग पर स्थित ग्राम सड्डू में हाई स्कल खोलने, श्री लच्छुराम कश्यप, सदस्य ने चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत तथा श्री लाल महेन्द्र सिंह टेकाम, सदस्य ने डौंडीलोहारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न विकास कार्य किए जाने संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत कीं।

8. वक्तव्य

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, दिनांक 24.07.2006 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्रमांक 1) के उत्तर में संशोधन के संबंध में वक्तव्य दिया।

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

माननीय सभापति महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्होंने वर्तमान सत्र की अल्प शेष अवधि के परिप्रेक्ष्य में तथा विधेयकों की महत्ता, उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए स्थायी आदेश क्रमांक 23 (2) तथा 24 को शिथिल कर निम्नांकित विधेयकों को आज ही पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की है:-

(1) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायापीठ को अपील) विधेयक, 2006 (क्रमांक 11 सन् 2006)

(2) छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 13 सन् 2006)

(3) पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 14 सन् 2006)

(4) छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 15 सन् 2006)

(5) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 16 सन् 2006)

माननीय सभापति महोदय ने सदन की सहमति से सूचित किया कि शासन की ओर से प्राप्त निम्नलिखित विधेयकों की सूचना पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु उन्होंने विधेयकों के समक्ष अंकित स

मय निर्धारित किया है :-

		निर्धारित समय
(1)	छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 13 सन् 2006)	15 मिनट
(2)	पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 14 सन् 2006)	15 मिनट
(3)	छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 15 सन् 2006)	15 मिनट
(4)	छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 16 सन् 2006)	15 मिनट
(5)	छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला विधेयक, 2006 (क्रमांक 17 सन् 2006)	1 घंटा
(6)	छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 18 सन् 2006)	1 घंटा

(1) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायापीठ को अपील) विधेयक, 2006 (क्रमांक 11 सन् 2006)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायापीठ को अपील) विधेयक, 2006 (क्रमांक 11 सन् 2006) को पुरःस्थापित किया।

(2) छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 13 सन् 2006)

श्री अजय चन्द्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) वियक, 2006 (क्रमांक 13 सन् 2006) पुरःस्थापित किया।

(3) पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 14 सन् 2006)

श्री अजय चन्द्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने सदन की सहमति से पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्विवद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 14 सन् 2006) पुरःस्थापित किया।

(4) छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 15 सन् 2006)

श्री अजय चन्द्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 15 सन् 2006) पुरःस्थापित किया।

(6) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 16 सन् 2006)

श्री अजय चन्द्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 16 सन् 2006) पुरःस्थापित किया।

10. प्रतिवेदन पर चर्चा

श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने आग्रह किया कि, मुख्य विपक्षी दल के सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 पर चर्चा आज न करा कर कल ले ली जाये ताकि प्रतिपक्ष के सदस्य भी चर्चा में सम्मिलित हो सकें।

श्री अजय चन्द्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की।

अपराह्न 12.56 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 2 अगस्त, 2006 (श्रावण 11, शक संवत् 1928) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

बुधवार, दिनांक 2 अगस्त, 2006

(श्रावण 11, शक संवत 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

1. निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अविभाजित मध्य प्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य एवं राज्य मंत्री श्री रणवीर सिंह शास्त्री के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किए गए।

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, श्री भूपेश बघेल, श्री मेघाराम साहू, स्कूल शिक्षा मंत्री एवं मोहम्मद अकबर, सदस्य ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त किए।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर श्रद्धांजलि दी गई एवं शोकसंतप्त परिवार के लिए संवेदना प्रकट की गई।

(11.08 बजे सदन की कार्यवाही स्थगित होकर 11.16 बजे पुनः प्रारंभ हुई।)

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 04, 05, 07 से 11 (कुल 09) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 03 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री संजय ढीढी एवं प्रश्न संख्या 06 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री बलराम सिंह अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नोंत्तर के रूप में परिवर्तित 10 तारांकित प्रश्न एवं 38 अतारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर भी शामिल थे।

3. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 07 पर चर्चा के दौरान श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से सदन को सूचित किया कि - सदस्यों की ओर से प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138 (3) को शिथिल करके उन्होंने आज की कार्यसूची में चार ध्यानाकर्षण सूचनाएं शामिल किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है।

(1) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में ठेकेदारों को अनुचित लाभ दिये जाने की ओर राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी का ध्यान आकर्षित किया।

श्री केदार कश्यप, राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य ने प्रदेश के राईस मिलरों द्वारा कस्टम मिलिंग में कनकी युक्त चावल दिये जाने की ओर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

श्री पूनम चन्द्राकर, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. बहिर्गमन

ध्यानाकर्षण पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने एवं श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्मगन किया।

6. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

(3) मोहम्मद अकबर, सदस्य द्वारा वन मंडल कवर्धा अंतर्गत वन भूमि में पत्थर का अवैध उत्खनन किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से कार्यसूची में अंकित समस्त ध्यानाकर्षण पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

(4) श्री लच्छुराम कश्यप, सदस्य ने बस्तर जिले में संचालित शैक्षणिक संस्थानों में निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक वितरित नहीं किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री मेघाराम साहू, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

7. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि - नियम 267-क के अधीन निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री देवव्रत सिंह, सदस्य

(2) श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य

(3) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य

(4) श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य

(5) श्री सियाराम कौशिक, सदस्य

(1.47 से 3.05 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए।)

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 12 सन् 2006)

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 12 सन् 2006) पुरःस्थापित किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से स्थायी आदेश क्रमांक 23 (2) तथा 24 को शिथिल कर छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला, 2006 (क्रमांक 17 सन् 2006) को आज ही पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की।

(2) छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला विधेयक, 2006 (क्रमांक 17 सन् 2006)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला विधेयक, 2006 (क्रमांक 17 सन् 2006) पुरःस्थापित किया।

(3) छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 18 सन् 2006)

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 18 सन् 2006) पुरःस्थापित किया।

(4) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायापीठ को अपील) विधेयक, 2006

श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायापीठ को अपील) विधेयक, 2006 (क्रमांक 11 सन् 2006) पर विचार किया जाये तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

विधेयक के संबंध में श्री विजय अग्रवाल एवं डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने अपने विचार व्यक्त किए।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2, 3 व 4 विधेयक का अंग बने।

खंड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायापीठ को अपील) विधेयक, 2006 (क्रमांक 11 सन् 2006) पारित किया जाए तथा चर्चा का उत्तर दिया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(5) छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006

श्री अजय चंद्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 13 सन् 2006) पर विचार किया जाये तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

विधेयक के संबंध में डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने अपने विचार व्यक्त किए।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 व 3 विधेयक का अंग बने।

खंड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री अजय चन्द्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 13 सन् 2006) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(6) पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2006

श्री अजय चंद्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 14 सन् 2006) पर विचार किया जाये तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

विधेयक के संबंध में डॉ. हरिदास भारद्वाज एवं श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने अपने विचार व्यक्त किए।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 व 3 विधेयक का अंग बने।

खंड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री अजय चंद्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 14 सन् 2006) पारित किया जाए तथा चर्चा का उत्तर दिया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(7) छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006

श्री अजय चंद्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 15 सन् 2006) पर विचार किया जाये तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

विधेयक के संबंध में श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने अपने विचार व्यक्त किए।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 व 3 विधेयक के अंग बने।

खंड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री अजय चन्द्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 15 सन् 2006) पारित किया जाए तथा चर्चा का उत्तर दिया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री ब्रदीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

(8) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2006

श्री अजय चंद्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 16 सन् 2006) पर विचार किया जाये तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

विधेयक के संबंध में डॉ. हरिदास भारद्वाज एवं श्री देवव्रत सिंह, सदस्य ने अपने विचार व्यक्त किए

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 व 3 विधेयक के अंग बने।

खंड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री अजय चंद्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2006 (कमांक 16 सन् 2006) पारित किया जाए तथा चर्चा का उत्तर दिया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वानुमति से पारित हुआ।

9. प्रतिवेदन पर चर्चा

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री देवलाल दुग्गा, नोवेल कुमार वर्मा (जारी)

10. नियम 52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा

दिनांक 27 फरवरी, 2006 को गृह मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्रमांक 917) के उत्तर से उद्भूत विषय पर मोहम्मद अकबर, सदस्य ने चर्चा की।

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सायं 5,10 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 3 अगस्त, 2006 (श्रावण 12, शक संवत् 1928) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

○

गुरूवार, दिनांक 3 अगस्त, 2006
(श्रावण 12, शक संवत् 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।
(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 13 (कुल 13) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उनके उत्तर दिये गए ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 17 तारांकित प्रश्न एवं 36 अतारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 07 की चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने तथा श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से घोषणा कि की - आज की कार्यसूची में 25 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 22 (6) के तहत शामिल किया गया है । विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमशः प्रथम चार ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे । उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा । लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी । संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि पहले क्रमांक (1) से (4) तक की सूचनाएं ली जावेगी ।

Scanned with OKEN Scanner

(1) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने पशुपालन विभाग में दवा क्रय में अनियमितता किये जाने की ओर पशुपालन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री पूनम चंद्राकर, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए ।)

(2) श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने जिला रायगढ़, खरसिया नगर पालिका अंतर्गत गरीब परिवारों की झोपड़ी तोड़े जाने की ओर नगरीय प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

4. बहिर्गमन

ध्यानाकर्षण पर चर्चा के दौरान श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने तथा श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

5. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

(3) श्री लच्छूराम कश्यप, सदस्य ने बस्तर जिले में बाढ़ पीड़ितों को राहत प्रदाय नहीं किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(4) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने जिला बिलासपुर के सरगांव में कस्तूरबा आवास योजना के अंतर्गत निम्न गुणवत्ता के भवनों का निर्माण किये जाने की ओर राज्य मंत्री, लोक निर्माण का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री राजेश मूणत, राज्य मंत्री, लोक निर्माण ने इस पर वक्तव्य दिया ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि अब वे कार्यसूची के पद 2 के उप पद (5) से (25) तक सूचना देने वाले सदस्यों के नाम पुकारेंगे, उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने जायेंगे :-

(5) सर्वश्री रविन्द्र चौबे, मोहम्मद अकबर

(6) श्री उदय मुदलियार

(7) डॉ. बालमुकुन्द देवांगन

Scanned with OKEN Scanner

(8) श्री उदय मुदलियार
(9) डॉ. शक्राजीत नायक
(10) सर्वश्री नोवेल कुमार वर्मा, डा. शक्राजीत नायक
(11) सर्वश्री चन्द्रभान बारमते, मोतीलाल देवांगन
(12) सर्वश्री देवजी पटेल, त्रिलोचन पटेल, डा. बालमुकुन्द देवांगन
(13) श्री नोवेल कुमार वर्मा
(14) श्री नोवेल कुमार वर्मा
(15) डॉ. शिवकुमार डहरिया, श्री उदय मुदलियार
(16) डॉ. बालमुकुन्द देवांगन
(17) श्री नंदकुमार पटेल
(18) श्री उदय मुदलियार
(19) श्री मोतीलाल देवांगन
(20) सर्वश्री देवजी पटेल, त्रिलोचन पटेल
(21) श्री देवव्रत सिंह
(22) श्री उदय मुदलियार
(23) सर्वश्री महेन्द्र कर्मा, ताम्रध्वज साहू
(24) श्री ओंकार शाह
(25) श्री भूपेश बघेल

6. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि - नियम 267-क के अधीन निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

(1) श्री रामपुकार सिंह
(2) श्री ताम्रध्वज साहू
(3) डॉ.शिवकुमार डहरिया
(4) श्री देवव्रत सिंह
(5) श्री भूपेश बघेल
(6) मोहम्मद अकबर
(7) श्री देवजी पटेल
(8) श्री सियाराम कौशिक
(9) श्री अघन सिंह ठाकुर

Scanned with OKEN Scanner

(10) डॉ.बालमुकुंद देवांगन

(11) श्री मोतीलाल देवांगन

(12) श्री उदय मुदलियार

7. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-25, कोटा के सदस्य, श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल की ओर से विधान सभा नियमावली के नियम 277 (1) के अधीन जुलाई-अगस्त, 2006 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही है ।

सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई ।

8. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री देवलाल दुग्गा, सभापति ने प्रत्यायुक्त विधान समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ।

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

श्री बोधराम कंवर, सदस्य ने विकासखंड पाली अंतर्गत तथा डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने महासमुंद जिले के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्य किए जाने संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत कीं ।

10. प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि करने का प्रस्ताव

(1) रायपुर स्थित सहकारी गृह निर्माण समितियों में अनियमितता की जांच समिति

श्री देवजी पटेल, सभापति ने छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमावली के नियम 194 के उप नियम (1) के परन्तुक की अपेक्षानुसार प्रस्ताव किया कि :-

रायपुर स्थित सहकारी गृह निर्माण समितियों में अनियमितता की जांच हेतु गठित सदन की जांच समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(2) विशेषाधिकार समिति

श्री विजय अग्रवाल, सभापति, विशेषाधिकार समिति ने छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन

Scanned with OKEN Scanner

संबंधी नियमावली के नियम 228 के अंतर्गत प्रस्ताव किया कि :-

विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2006

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाये तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

विधेयक के संबंध में डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री अघन सिंह ठाकुर एवं श्री उदय मुदलियार, सदस्य ने अपने विचार व्यक्त किए ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 14 विधेयक के अंग बने ।

खंड 1 विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने ।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाए तथा चर्चा का उत्तर दिया ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक सर्वानुमति से पारित हुआ ।

(1.25 से 3.02 बजे तक अंतराल)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए ।)

Scanned with OKEN Scanner

12. विधेयक में वित्तीय ज्ञापन में विसंगति बाबत् व्यवस्था का प्रश्न

आसंदी द्वारा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री को छत्तीसगढ़ राजिम कुम्भ मेला विधेयक, 2006 पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए पुकारे जाने पर श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने आपत्ति की कि इस विधेयक के वित्तीय ज्ञापन में 25 लाख रूपये के व्यय का प्रावधान है जबकि इसी मेले के पिछले वर्ष के व्यय की जानकारी विधान सभा प्रश्न के उत्तर में 2 करोड़, 15 लाख, 83 हजार, 942 रू. दी है, जो कि विसंगतिपूर्ण है तथा इस विधेयक को व्यापारिक उद्देश्य से लाया जा रहा है जो कि आपत्तिजनक है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री ने उल्लेख किया कि आपत्ति पुर:स्थापन के समय की जानी थी तथा धर्मस्व विभाग का इस हेतु बजट 25 लाख ही है । प्रश्न के उत्तर में धर्मस्व, पर्यटन और संस्कृति तीनों विभाग के खर्च की जानकारी है । अत: जानकारी में कोई विसंगति नहीं है ।

13. व्यवस्था

आपत्ति विधेयक के पुर:स्थापन के समय की जानी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - विधेयक दिनांक 01 अगस्त को वितरित कर दिया गया था और 02 अगस्त को पुर:स्थापित भी कर दिया गया था । आपत्ति का समय विधेयक के पुर:स्थापन के समय था ।

पुर: स्थापन के समय कोई आपत्ति नहीं आई । अब विचार के प्रस्ताव के समय आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है । अब आप जिन भी बिन्दुओं पर आपत्ति उठाना चाहते हैं तो विचार के समय अपनी बातें रखियेगा और सभा निर्णय लेगी ।

14. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

(2) छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला विधेयक, 2006

श्री बृजमोहन अग्रवाल, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला विधेयक, 2006 पर विचार किया जाये तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

सर्वश्री रविन्द्र चौबे, चंदूलाल साहू, डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य (जारी)

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

सर्वश्री हरिदास भारद्वाज, देवजी पटेल, धनेन्द्र साहू, महेन्द्र कर्मा, सदस्य ने विधेयक के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए ।

Scanned with OKEN Scanner

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 14 विधेयक के अंग बने ।
खंड 1 विधेयक का अंग बना ।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला विधेयक, 2006 पारित किया जाए तथा चर्चा का उत्तर दिया ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
विधेयक सर्वानुमति से पारित हुआ ।

(3) छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य (संशोधन) विधेयक, 2006

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाये तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

सर्वश्री रविन्द्र चौबे, विजय अग्रवाल, नंदकुमार पटेल, लच्छूराम कश्यप, सदस्य,

15. व्यवस्था

सदन में शालीन भाषा का उपयोग

धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्य श्री नंदकुमार पटेल द्वारा प्रयुक्त आपत्तिजनक शब्दों को एवं तदुपरांत गृहमंत्री श्री रामविचार नेताम द्वारा माननीय सदस्य श्री नंदकुमार पटेल के लिए प्रयुक्त शब्दों को माननीय अध्यक्ष महोदय ने कार्यवाही से विलोपित करते हुए यह उल्लेख किया कि जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, वह अनुचित है । किसी भी माननीय सदस्य और मंत्री को विशेष तौर पर किसी भी माननीय सदस्य के प्रति शब्दों का प्रयोग करते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए और एक दूसरे के प्रति बात करते समय और संबोधन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह भी उल्लेख किया कि किन्ही प्रकार से ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए जो कि एक दूसरे की भावनाओं को आहत करें ।

16. घोषणा

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से घोषणा की कि - आज की कार्यसूची के पद क्रमांक-8 में में उल्लिखित चर्चा अगले सत्र में ली जा सकेगी तथा पद क्रमांक-9 में वर्णित कार्य पूर्ण होने एवं समापन कार्यवाही तक बैठक के समय में वृद्धि की जाती है ।

Scanned with OKEN Scanner

17. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

(3) छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य (संशोधन) विधेयक, 2006

सर्वश्री डॉ.हरिदास भारद्वाज, सिद्धनाथ पैकरा, कवासी लखमा, चन्दूलाल साहू, नोवेल कुमार वर्मा, महेन्द्र कर्मा, डॉ.सुभाऊ कश्यप, सदस्य ने विधेयक के प्रति अपने विचार व्यक्त किए ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 6 विधेयक के अंग बने ।

खंड 1 विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने ।

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य (संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाए तथा चर्चा का उत्तर दिया ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

18. बहिर्गमन

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा विधेयक पर हुई चर्चा का पूर्ण उत्तर न दिए जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

19. नियम 52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा

श्री देवजी पटेल, सदस्य ने दिनांक 02.08.2006 को वित्त मंत्री से पूछे गए परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 08 (क्रमांक 876) के उत्तर से उद्भूत विषय पर चर्चा की ।

श्री अमर अग्रवाल वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

20. सत्र का समापन

अध्यक्षीय उद्बोधन

द्वितीय विधान सभा के इस पावस सत्र का आज अंतिम दिन है । विगत बजट सत्र की अपेक्षा यह पावस सत्र लघु होते हुए भी काफी सार्थक रहा । दिनांक 24 जुलाई से प्रारंभ होकर यह सत्र 3 अगस्त, 2006 तक चला । इस 11 दिवसीय सत्रावधि में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार 8 बैठकें प्रस्तावित थीं, किन्तु सभा के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार केवल

Scanned with OKEN Scanner

7 बैठकें हुईं और इस लघु अवधि में सभा ने वित्तीय एवं विधिक कार्य निपटाने के साथ-साथ, पक्ष एवं पतिपक्ष के सदस्यों ने विभिन्न माध्यम से लोकहित के अनेक महत्वपूर्ण विषयों को सभा में उठाया और सभा के प्रति शासन की जवाबदेही सुनिश्चित की ।

वित्तीय कार्यों के अंतर्गत वर्ष 2006-2007 के प्रथम अनुपूरक मांगों पर 3 घण्टे, 28 मिनट चर्चा हुई और महामहिम राज्यपाल द्वारा लौटाए गए विधेयक सहित कुल 10 विधेयक सभा के द्वारा पारित किए गए । इस प्रकार लघु अवधि के सत्र में भी आप सभी के सहयोग एवं समन्वय से महत्वपूर्ण कार्यों को सम्पादित किया ।

यह सदन राज्य की दो करोड़ जनता की भावनाओं को प्रकट करने का प्रतीक है और इस सदन के जन-प्रतिनिधि जनता के प्रति अपने दायित्व के प्रति गंभीर भी हैं, इसकी पुष्टि तव हुई जव इस सत्र के प्रथम दिवस ही प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा एर्राबोर शिविर में नक्सली हमले की घटना पर प्रतिपक्ष के द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर सभा ने सर्वसम्मति से तत्काल चर्चा आरंभ करने का निर्णय लिया और विषय की गंभीरता को विचार में लेकर आसंदी ने नियमों को शिथिल करते हुए 6 घण्टे और 30 मिनट की लम्बी चर्चा की अनुमति दी । पक्ष एवं प्रतिपक्ष के वक्ताओं ने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखें । मुझे विश्वास है चर्चा से प्राप्त निष्कर्ष से प्रदेश की नक्सली समस्या के समाधान को तलाशने में हमें सहायता मिलेगी ।

इस 7 दिवसीय लघु अवधि के सत्र में 431 ध्यानाकर्षण की सूचनाएं आना, माननीय सदस्यों द्वारा 907 प्रश्नों की सूचनाएं देना, माननीय सदस्यों की सभा के कार्य में गहरी रूचि को प्रदर्शित करता है । इस सत्र में पूछे गए 907 प्रश्नों में से 654 प्रश्न कांग्रेस के सदस्यों के थे, जो कुल प्रश्नों का 72.10 प्रतिशत है । भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा 209 प्रश्न पूछे गए, जो कुल प्रश्नों का 23 प्रतिशत है । सर्वाधिक प्रश्न पूछले वालों में डा. बालमुकुन्द देवांगन, श्री योगेश्वर राज सिंह, श्री बेदूराम कश्यप, डा. शक्राजीत नायक, डा. हरिदास भारद्वाज, श्री नंदकुमार पटेल, श्री रविन्द्र चौबे एवं श्री देवजी भाई पटेल रहे । राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक मात्र विधायक श्री नोवेल कुमार वर्मा ने 29 प्रश्नों की सूचनाएं और बहुजन समाज पार्टी की माननीय सदस्या कु. कामदा जोल्हे ने 15 प्रश्नों की सूचनाएं दीं । मैं इन सभी सदस्यों को बधाई देता हूं ।

लघु सत्रों में कार्य का दबाव अधिक रहता है । प्रत्येक सदस्य भी प्रदेश एवं अपने क्षेत्र की समस्याओं को सभा में उठाने के लिए निरंतर प्रयासरत् रहते हैं और आग्रह करते हैं । जन समस्याओं से जुड़े हुए विषयों के दबाव के बावजूद पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों ने न केवल संयम बनाए रखा अपितु सदन में वड़ा सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा । इन सबका श्रेय निश्चित रूप से मैं सदन के नेता डॉ. रमन सिंह एवं नेता प्रतिपक्ष श्री महेन्द्र कर्मा को दूंगा । वर्तमान सत्र में एक विद्यालय के 61 छात्र-छात्राओं ने सभा की कार्यवाही देखी और अखिल भारतीय सेवाओं के 7 एवं राज्य प्रशासनिक सेवाओं के 26 प्रशिक्षुओं ने भी प्रदेश की सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था की कार्यवाही को देखकर राज्य की समस्याओं को जानने का प्रयास किया ।

अब मैं आपको वर्तमान विधान सभा सत्र में संपादित कार्यों की कुछ सांख्यिकीय जानकारियां दे रहा हूं । इस सत्र की कुल 7 बैठकों में 31 घन्टे से अधिक चर्चा हुई । प्रश्नों की कुल संख्या 907 रहीं, जिनमें से 65 प्रश्नों पर सभा में मौखिक प्रश्न पूछे गये और चर्चा हुई । वर्तमान सत्र में 7 अशासकीय संकल्प प्राप्त हुये, जिनमें से 3 अशासकीय संकल्प सदन में चर्चा के लिये रखे गये और 2 संकल्प स्वीकृत हुये । इस सत्र में स्थगन प्रस्ताव की कुल 100 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिसमें से एक विषय पर प्राप्त 17 सूचनायें ग्राह्य कर सभा में चर्चा की गई, शेष में से 10 सूचनायें ध्यानाकर्षण सूचना में

Scanned with OKEN Scanner

परिवर्तित की गई तथा 73 अग्राह्य की गई । इस सत्र में शून्यकाल की 61 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें से 39 सूचनायें सभा में रखी गई ।

वर्तमान सत्र में ध्यानाकर्षण की 431 सूचनायें प्राप्त हुईं । मैंने माननीय सदस्यों के आग्रह को देखते हुये नियमों को शिथिल करते हुये दो के स्थान पर चार सूचनायें 3 बैठकों में सभा में लीं और इस प्रकार 118 सूचनायें ग्राह्य हुईं तथा 63 सूचनाओं पर चर्चा हुई, 62 सूचनायें पटलित हुईं और 266 सूचनायें अग्राह्य रहीं । इस सत्र में 9 शासकीय विधेयकों की सूचनायें प्राप्त हुईं, 9 विधेयक सभा में लाये गये और पारित हुये । कुल 32 याचिकायें सभा में प्रस्तुत की गईं ।

मुझे यह कहते हुये प्रसन्नता हो रही है कि पत्रकार दीर्घा के पत्रकार बंधुओं ने वित्तीय एवं विधिक कार्यों के समय भी पत्रकार दीर्घा में उपस्थित होकर कवरेज किया और समाचार पत्रों में सभा के प्रत्येक कार्य को स्थान प्रदान कर इस प्रदेश की दो करोड़ जनता तक सभा की कार्यवाही को पहुंचाने के कार्य की जिम्मेदारी के साथ निर्वाह किया और सकारात्मक रिपोर्टिंग कर महत्वपूर्ण भूमिका निभायी । विगत दो सत्रों से सभा की प्रश्नकाल की कार्यवाही को दूरदर्शन से सायं 5.30 से 6.30 बजे की अवधि में प्रसारित किया जाता है । दूरदर्शन से सभा के प्रश्नकाल की कार्यवाही के प्रसारण से प्रदेश की दो करोड़ जनता को सभा की कार्यवाही देखने का अवसर प्राप्त हुआ । मैं विधान सभा की कार्यवाही को दूरदर्शन से प्रसारण से सम्बद्ध अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं ।

सत्र समापन के अवसर पर आगामी सत्र की संभावित तिथियों की जानकारी देने की परम्परा रही है । आगामी सत्र दिनांक 4 दिसम्बर से 15 दिसम्बर, 2006 के मध्य होने की संभावना है ।

मैं इस सत्र के पूर्ण होने के अवसर पर राज्य शासन के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने अपने दायित्वों का गंभीरता से पालन किया । इस अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को पूरे सत्रकाल में कायम रखा और विधान सभा सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं कि उनके समन्वित सहयोग से ही इस सत्र का सुचारू संचालन सम्पन्न हो सका ।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने भी इस अवसर पर अपने उद्‌गार व्यक्त किए ।

21. राष्ट्रगान

(सदन में राष्ट्रगान जन-गण-मन की धुन बजाई गई।)

सांय 7.03 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई ।

Scanned with OKEN Scanner